



षोडश बिहार विधान सभा

द्वादश सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-04

बृहस्पतिवार, दिनांक- 14 फरवरी, 2019 ई० ।

माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 11.22 बजे अपराह्न तक ।

[1] प्रश्नोत्तर काल :-

(i) 02 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-05 के उत्तर से असंतुष्ट होकर विरोधी दल के माननीय सदस्यगण शोरगुल करते हुए बेल में आ गए ।

आसन से बार बार विपक्ष के माननीय सदस्यों से अनुरोध किया गया कि वे अपनी बातों को अपने स्थान पर जा कर कहें ।

माननीय मंत्री संसदीय कार्य श्री श्रवण कुमार द्वारा भी विपक्ष के माननीय सदस्यों से अपने अपने स्थान पर बैठने का आग्रह किया गया ।

किन्तु सदन में शांति कायम नहीं हो सकी और सभा की कार्यवाही 12.00 बजे मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

स्थागनोपरान्त

(12.00 मध्याह्न से 12.12 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

[2] कार्य स्थगन प्रस्ताव :-

माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम, श्री ललित कुमार यादव, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री राजेन्द्र कुमार एवं श्री रामविलास पासवान द्वारा दिए गए कार्य स्थगन सूचना को नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा अमान्य किये जाने की घोषणा की गई ।

माननीय सदस्य श्री प्रह्लाद यादव द्वारा विशेषाधिकार हनन की सूचना सदन में दी गई ।

आसन की अनुमति से माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम एवं श्री ललित कुमार यादव द्वारा दिए गए अपने अपने कार्य स्थगन सूचना को सदन में पढ़ा गया ।

शून्यकाल :-

शून्यकाल की सूचनान्तर्गत राज्य की विभिन्न समस्याओं पर निर्म्मांकित माननीय सदस्यों ने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया :-

- (i) श्री ललन पासवान
- (ii) श्री विनोद प्रसाद यादव

इस दौरान विरोधी दल के माननीय सदस्यगण अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शोर-गुल करने लगे। आसन द्वारा बार-बार विपक्ष के माननीय सदस्यों से शांत हो कर बारी-बारी से अपनी बात रखने का आग्रह किया गया।

किन्तु सदन में शांति कायम नहीं हो सकी और सभा की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 05.15 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

[3] वित्तीय वर्ष 2018-19 की तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरण में सम्मिलित अनुदान की मांग [परिवहन विभाग] पर वाद-विवाद तथा मतदान :-

माननीय प्रभारी मंत्री परिवहन विभाग, श्री संतोष कुमार निराला द्वारा विभाग से संबंधित अनुदान की मांग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य श्री रामदेव राय द्वारा अनुदान की मांग पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया। अनुदान की मांग एवं कटौती के प्रस्ताव पर वाद-विवाद में निर्म्मांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

(इस अवसर पर माननीय अध्यासी सदस्य श्री मो० नेमतुल्लाह ने आसन ग्रहण किया)

- (i) श्री डा० रामानुज प्रसाद
- (ii) श्री चन्द्रसेन प्रसाद
- (iii) श्री अशोक कुमार सिंह
- (iv) श्री अखतरूल इस्लाम शाहिन
- (v) श्री सत्यदेव राम
- (vi) श्री सत्यदेव सिंह
- (vii) श्री कुमार सर्वजीत
- (viii) श्री ललन पासवान
- (ix) श्री जिवेश कुमार
- (x) श्री विजय शंकर दूबे

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

- (xi) श्री मनोज कुमार

तत्पश्चात् माननीय प्रभारी मंत्री, परिवहन विभाग, श्री संतोष कुमार निराला द्वारा सरकार की ओर से वाद-विवाद का विस्तारपूर्वक उत्तर दिया गया।

सरकार के उत्तर के दौरान विरोधी दल के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये।

तदोपरान्त माननीय सदस्य, श्री रामदेव राय का कटौती प्रस्ताव सदन से अस्वीकृत हुआ तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित परिवहन विभाग के अनुदान की मांग का मूल प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ।

तत्पश्चात् सदन द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 की तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरण में सम्मिलित शेष अनुदान की मांगे गिलोटीन (मुखबंध) के द्वारा बारी-बारी से स्वीकृत हुआ।

[4] विधायी कार्य :- राजकीय (वित्तीय) विधेयक

"बिहार विनियोग विधेयक, 2019"

माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरान्त विधेयक के सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने। तदुपरान्त माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

तत्पश्चात् बिहार विनियोग विधेयक, 2019 सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।

[5] निवेदन :-

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 55 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिये जायेंगे।

तदुपरान्त सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक-15 फरवरी, 2019 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।

पटना
दिनांक-14.02.2019

बटेश्वर नाथ पाण्डेय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।